क्रम-संख्या 12 (क-4)

रजिस्टर्ड नं0 एल0 डब्ल्यू/एन0पी0 561
लाइसेन्स नं0 डब्ल्यू0 पी0-41
(लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेंट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

प्रयागराज, सोमवार, 21 जनवरी, 2019 ई0
(माघ 1, 1940 शक संवत्)

उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (शुल्क एवं अर्थदण्ड) विनियमावली, 2010 का प्रथम संशोधन

संख्या : 1523 उ0प्र0 वि0नि0आ0/सचिव/विनियम
लखनऊ, दिनांक 21 जनवरी, 2019
अधिसूचना

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 86 (1)(जी) तथा उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम, 1999 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 24,1999) की धारा 52 के अधीन प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त सभी अधिकारों, जहाँ तक यह विद्युत अधिनियम, 2003 के प्राविधानों के साथ असंगत नहीं हैं, तथा इस निहित सभी समर्थकारी शक्तियो का प्रयोग करके उ0प्र0 विद्युत नियामक आयोग एतद्द्वारा उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (शुल्क एवं अर्थदण्ड) विनियमावली, 2010 में निम्नलिखित संशाधेन करते हैं :–

संशोधन

वर्तमान प्रावधान क्रम सं0 1.1 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा –

यह विनियमावली उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (शुल्क एवं अर्थदण्ड) विनियमावली, 2010 (प्रथम संशोधन) कहलायेगी।

वर्तमान प्रावधान क्रम सं0 2.2 (VI) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा –

यहाँ पर "अनुसूचियों" से सम्बन्ध इस विनियमावली के साथ संलग्न किये गये आयागे द्वारा समय– समय पर लागू अधिनियम के अनुसार संशोधित एवं परिवर्तित लागू विनियमों के अनुसार "शुल्क की अनुसूची" एवम् "पूर्व विनिर्दिष्ट अर्थदण्ड/जुर्माने की अनुसूची" के रुप में संदर्भित माना जायेगा।

वर्तमान प्रावधान क्रम सं0 4.3 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा –

वार्षिक अनुज्ञप्ति शुल्क प्रत्येक वर्ष के लिए जैसा कि इन विनियमनों में विनिर्दिष्ट है, उस वर्ष की 15 जुलाई तक भुगतान किया जायेगा। वार्षिक शुल्क के जमा करने की तिथि जैसा कि इस विनियमावली में अंकित है, आयोग के किसी अन्य विनियमन में अंकित तिथि का अतिक्रमण करेगी।

क्रम सं0 5.8 के रुप में जोड़े जाने वाले नये प्रावधान :–

विनिर्दिष्ट अर्थदण्ड/जुर्माने के आरोपण के सम्बन्ध में नोटिस निर्गत कर व्यक्ति को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् कथनादेश/आख्यापक आदेश द्वारा आयोग के पास पूर्व विर्निदिष्ट अर्थ दण्ड/जुर्माने को क्रम या शिथिल करने के अविभक्त अधिकार होंगे।

वर्तमान प्रावधान क्रम सं0 6.2 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा –

अर्थदण्ड/जुर्माना उसी विधि से देय होगा जैसा कि इस विनियमावली के परिच्छेद 3 के उप–परिच्छेद (II) के अन्तर्गत प्राविधानित है। ये अर्थदण्ड/जुर्माने उत्पादक अथवा अनुज्ञप्तिधारी, जैसी स्थिति हो, के वार्षिक लेखों में अनिवार्य रुप से दर्शाये जायेंगे, किन्तु सकल राजस्व आवश्यकता के अन्तगर्त मान्य व्यय के भाग नहीं बनेंगे।

वर्तमान प्रावधान क्रम संख्या 7.1 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा –

आयोग समय–समय पर विनियमावली की अनुसूचियों में प्राविधानित देय शुल्कों या अर्थ दण्ड़ों/ जुर्मानों के सम्बन्ध में, विद्युत अंधिनियम, 2003 की धारा 181 (3) के अन्तगर्त विनिर्दिष्ट शर्तो के शर्ताधीन जैसा उचित समझे, पारित आदेश द्वारा वृद्धि, संशोधन, परिवर्तन या धनराशि के रुपान्तर करने हेतु सक्षम होगा।

वर्तमान "शुल्क की अनुसूची" निम्नानुसार सशोधित की जायेगी –

शुल्क की अनुसूची में संशोधन

बिन्दु संख्या	आवदेन पत्र/याचिका की प्रकृति	वर्तमान शुल्क	संशोधित शुल्क
		भाग-अ सामान्य	
6	विविध आवेदन पत्र अर्थात आवेदन जो अन्यत्र आवरित नहीं।	(अ) रुपया 10,000/–आवेदन यदि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दायर किया गया है।	(अ) रुपया 2,5000/–आवेदन यदि अनुज्ञप्तिधारी या उत्पादक कम्पनी द्वारा दायर किया गया है।
		(ब) रुपया 1,000/–आवदेन यदि अनुज्ञप्तिधारी या व्यक्ति के अतिरिक्त किसी संस्था के द्वारा दायर किया गया है।	(ब) रुपया 1,000/–आवदेन यदि अनुज्ञप्तिधारी या उत्पादक कम्पनी के अतिरिक्त किसी अन्य द्वारा दायर किया गया है।
		(स) रुपया 500/– आवदे न यदि किसी व्यक्ति द्वारा दायर किया गया है।	
7	आयोग का कोई आदेश जो अन्यत्र आवरित नहीं है के पुनर्विचार हतु आवेदन।	रुपया 1,000/– (रुपया एक हजार मात्र)	मूल शुल्क का 50 प्रतिशत, यद्यपि आयोग लघु उपभोक्ताओं के सम्बन्धित पुनर्विचार मसलों में छूट प्रदान कर सकता है
		भाग-ख अनुज्ञप्ति की स्वीकृति	
2	वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा देय वार्षिक अनुज्ञप्ति शुल्क।	अनुज्ञप्ति निर्गत करते समय शुरु में अनुज्ञप्तिधारी द्वारा बिलिंग की गयी/बिलिंग की जाने वाली धनराशि का 0.05 प्रतिशत तथा अनुज्ञप्ति की वैधता के दौरान प्रत्येक परिवर्ती वित्तीय वर्ष में समान दर पर वार्षिक भुगतान।	अनुज्ञप्ति निर्गत करते समय शुरु में अनुज्ञप्तिधारी द्वारा बिलिंग की जाने वाली धनराशि का 0.04 प्रतिशत तथा अनुज्ञप्ति की वैधता के दौरान प्रत्येक परिवर्ती वित्तीय वर्ष में समान दर पर वार्षिक भुगतान।
		अथवा	अथवा
		शुल्क जैसा कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाय।	शुल्क जैसा कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाय.।

1	2	3	4
3	पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा भुगतान किये जाने वाला वार्षिक शुल्क	अनुज्ञप्ति की अनुमति देने के समय शुरु में अनुज्ञप्तिधारी द्वारा संचलन की गयी/संचलन की जाने वाली विद्युत की प्रत्येक 10 लाख यूनिट या उसके भाग के लिए रुपया 500/– तथा अनुज्ञप्ति की वैधता के दौरान प्रत्येक परिवर्ती वित्तीय वर्ष में समान दर पर वार्षिक भुगतान।	अन्तर्राज्यीय पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, अनुज्ञप्ति की अनुमति की तिथि से पारेषण प्रणाली अथवा उसके किसी भाग के परिचालन तक रुपया 5.00 लाख प्रति वर्ष की दर से अनुज्ञप्ति शुल्क का भुगतान करेगा। वाणिज्यिक परिचालन के पश्चात् अनुज्ञप्तिधारी, संचालन की जाने वाली विद्युत की प्रत्येक 10 लाख यूनिट या उसके भाग के लिए रुपया 500/– प्रत्येक परिवर्ती वित्तीय वर्ष में अनुज्ञप्ति की वैधता के दौरान भुगतान करेगा। प्रथम वर्ष में प्रणाली के आंशिक परिचालन की दशा में अनुज्ञप्ति शुल्क समानानुपातिक आधार पर भारित किया जायेगा।
		अथवा	अथवा
		शुल्क जैसा कि राज्य सरकार द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के अन्तर्गत निर्धारित किया जाय।	शुल्क, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के अन्तगर्त निर्धारित किया जायेगा।
		भाग-द दर–सूची निर्धारण	
8	फुटकर बिक्री एवम् विद्युत के बिलिंग के लिये बहुवर्षीय दर सूची के अन्तर्गत दर सूची का निर्धारण	रुपये 10 लाख + रुपये 500/– अधिकतम मांग के प्रति एम0वी0ए0 अधिकतम रुपया 60 लाख तक	रुपये 10 लाख + रुपये 500/– अधिकतम मांग के प्रति एम0वी0ए0 (अधिकतम शुल्क रुपया 50 लाख तक)
11	बहुवर्षीय दर सूची के अन्तर्गत पारेषण अनुज्ञप्तिधारी या उत्पादन करने वाली कम्पनी की वार्षिक निष्पादन संमीक्षा।	रुपये 15 लाख	रुपये 10 लाख

शुल्कों की अनुसूची में वृद्धि

विनियमावली, 2010 की 'शुल्कों की अनुसूची' में निम्नलिखित वृद्धियाँ की जा रही हैं:–

विनियमावली, 2010 की क्रम संख्या	आवेदन/याचिका की प्रकृति	शुल्क (रुपये में)
7	याचिका प्रस्तुत करने में विलम्ब के लिये अधिभार	नियत तिथि से प्रस्तुत करने की वास्तविक तिथि (यदि आयोग द्वारा निर्धारित की गयी हो) तक रुपये 5,000/– प्रति दिन के आधार पर। यद्यपि यह प्रावधान एम0आई0टी0/ए0पी0आर0/ट्रू–अप याचिकाओं की प्रस्तुति में विलम्ब की दशा में लागू नहीं होगा, जिसके लिए एक पृथक् प्रावधान दण्डभाग में प्रस्तावित है।

1	2	3
	भाग-ब विवादों एवम् शिकायतों का संकल्प	
5	(अ) अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत पारेषण क्षमता की पर्याप्तता पर अधिनिर्णयन के लिये	(अ) रुपये 50,000/–
	(ब) 5 (अ) के अन्तर्गत आदेश की पुर्नविचार याचिका	(ब) रुपये 25,000/–
6	(अ) धारा 33 (4) के अन्तर्गत समाकलित ग्रिड़ परिचालन से सम्बन्धित विवाद	(अ) रुपये 50,000/–.
	(ब) 6 (अ) के अन्तर्गत निर्गत आदेश की पुनर्विचार याचिका	(ब) रुपये 25,000/–
7	अधिनियम की धारा 67 की उपधारा (4) एवं (5) के अन्तर्गत उत्पन्न हो रहे विवाद (सड़क, रेलमार्ग, आदि का खोलना)	रुपये 25,000/–
	भाग–स अनुज्ञप्ति की अनुमति	
8	वार्षिक् अनुज्ञप्ति शुल्क – (अ) विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र के लिए (ब) ग्रामीण विद्युत सहकारी समिति के लिये	(अ) रुपये 1,00,000/– वार्षिक् (ब)रुपये 50,000/–. वार्षिक, यद्यपि आयोग इंस शुल्क को शिथिल कर सकता है, यदि वह उचित समझता है।
9	विद्युत अधिनियम के धारा 19 की उपधारा (2) के अन्तगर्त अनुज्ञप्ति के प्रतिसंग्रहण हेतु आवेदन।	अनुज्ञप्तिधारी द्वारा– रुपये 1,00,000/– अन्य द्वारा –रुपये 10,000/–
12	प्रतिस्पर्धा प्रक्रिया के माध्यम से लघु/दीर्घ/मध्यम अवधि के लिये विद्युत्त क्रय के लिये दर सूची के अंगीकरण हेतु आवेदन।	जल विद्युत संयत्र 25 मेगावाट से अधिक एवं परंपरागत ईंधन आधारित (कोयला, तेल आदि) के दीर्घ अवधि/मध्यम अवधि हेतु रुपये 25,000/– प्रति मेगावाट या उसका भाग (न्यूनतम रुपये 2,00,000/– एवं अधिकतम रुपये 10,00,000/–) 25 मेगावाट तक जल विद्युत संयत्र सहित गैर परम्परागत तथा नवीनीकरण ऊर्जा स्त्रोत आधारित रुपये 10,000/– प्रति मेगावाट या उसका भाग (न्यूनतम रुपया 50,000/– तथा अधिकतम रुपया 5,00,000) लघु अवधि हेतु रुपये 10,000/– प्रति निविदा प्रक्रिया।
13	दर सूची आदेश के ट्रूइंग अप के लिये आवेदन यदि एक पृथक् याचिका के रुप में दायर किया जाये।	रुपये 1,00,000/–
14	(अ) एफपीपीसीए के सम्बन्ध में याचिका	(अ) रुपये 50,000/–
	(ब) 14 (अ) अन्तर्गत निर्गत आदेश की पुर्नविचार याचिका	(ब) रुपये 25,000/–
15	प्रतिस्पर्धात्मक निर्देशन सिद्धान्तों के माध्यम से प्राप्त दर सूची के अंगीकरण के लिये याचिका–उत्पादन एवं पारेषण परियोजनायें–दोनों के लिये।	रुपये 25,00,000/–

1	2	3
	भाग-य पारेषण सम्बंधी विषय	
1	विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 36 की उपधारा (1) की शर्तों के अन्तर्गत दरो, प्रभावी, नियम एवं शर्तों के निर्धारण हेतु याचिका। (अनुज्ञप्तिधारी की मध्यवर्ती पारेषण सुविधा के उपयोग के लिये याचिका)	रुपये 1,00,000/–
2	पारेषण सेवा अनुबन्ध	रुपये 500/– प्रति मेगावाट (न्यूनतम रुपये 15,000/– तथा अधिकतम रुपये 2,00,000/–) प्रतिस्पर्धात्मक निविदा तथा आपसी सहमति पर आधारित परियोजनायें – दोनों के लिये।
3	स्टेट लोड डिस्पैच सेन्टर के शुल्क एवं प्रभारों के निर्धारण हतु आवेदन.	रुपये 5,00,000/–

"पूर्व विनिर्दिष्ट अर्थदण्ड/जुर्मानों" की अनुसूची का विनियमावली, 2010 में एक पृथक् अनुसूची के रूप में जोड़ा गया है।

पूर्व विनिर्दिष्ट अर्थदण्ड/जुर्मानों की अनुसूची"

विनियमावली 2010 में क्रम संख्या	आवेदन/याचिका की प्रकृति	अर्थदण्ड/जुर्माना (रुपये में)
	भाग-अ उत्पादन से सम्बन्धिम सूचना	
1	उत्पादन करने वाली कम्पनियों द्वारा अधिनियम की धारा 10 (3) एवम् उ0प्र0 वि0नि0आ0 ड़त्पादन दर सूची विनियमावली 14 की धारा 2 (7) के अनुसार क्रमशः सितम्बंर एव मार्च माह में निष्पादन रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने पर।	(अ) प्रथम उल्लंघन पर अर्थदण्ड रुपये 50,000/– तथा उल्लंघन जारी रहने के दौरान अर्थदण्ड रुपये 5,000/–प्रति दिन (ब) यदि दूसरी नियत तिथि तक अनुपालन नहीं होता है तब अर्थदण्ड की धनराशि 1,00,000/– तथा इसके पश्चात् उल्लंघन जारी रहने के दौरान रुपये 10,000/– प्रतिदिन की दर से जोड़कर निकाली जायेगी। (स) यदि तीसरी नियत तिथि तक अनुपालन नहीं होता है तब अर्थदण्ड की धनराशि एवं 2,00,000/– और इसके पश्चात् उल्लंघन जारी रहने के दौरान रुपये 20,000/– प्रतिदिन की दर से जोड़कर निकाली जायेगी। (द) परिवर्ती चूकों पर अर्थदण्ड रुपये 5,00,000/– बार– बार लगाया जायेगा और इसके पश्चात उल्लंघन जारी रहने के दौरान रुपये 20,000/– प्रतिदिन की दर से लगेगा। यह अर्थदण्ड आयोग द्वारा की जाने वाली अन्य कार्यवाही, के पूर्वाग्रह के बिना है।

1	2	3
2	उ0प्र0 वि0नि0आ0 उत्पादन दर सूची विनियमावली, 14 के विनियम 51 (दस) के अनुसार क्रमशः सितम्बर एवं मार्च माह में लागत व्यय एवं प्रचालन से सम्बंधित आंकणों को प्रस्तुत न किया जाना।	(अ) प्रथम उल्लंघन पर अर्थदण्ड रुपये 50,000/– तथा उल्लंघन जारी रहने के दौरान अर्थदण्ड रुपये 5,000/– प्रतिदिन (ब) यदि दूसरी नियत तिथि तक अनुपालन नहीं होता है तब अर्थदण्ड की धनराशि 1,00,000/– तथा इसके पश्चात उल्लंघन जारी रहने के दौरान रुपये 10,000/– प्रतिदिन की दर से जोड़कर निकाली जायेगी। (स) यदि तीसरी नियत तिथि तक अनुपालन नहीं होता है तब अर्थदण्ड की धनराशि एवं 2,00,000/– और इसके पश्चात उल्लंघन जारी रहने के दौरान रुपये 20,000/– प्रतिदिन की दर से जाड़ेकर निकाली जायेगी। (द) परिवर्ती चूकों पर अर्थदण्ड रुपये 5,00,000/– बार– बार लगाया जायेगा और इसके पश्चात् उल्लंघन जारी रहने के दौरान रुपये 20,000/– प्रतिदिन की दर से लगेगा। यह अर्थदण्ड आयोग द्वारा की जाने वाली अन्य कार्यवाही, के पूर्वाग्रह के बिना है।
3	सी0आर0ई0 विनियमवाली, 2014 की धारा 11 (2) के अनुसार विनियमावली की अधिसूचना की तिथि से 90 दिन के अन्दर सूचना के प्रस्तुत न किये जाने पर	(अ) उल्लंघन पर अर्थदण्ड रुपये 1,00,000/– इसके पश्चात अगले 30 दिनों के लिये अतिरिक्त अर्थदण्ड रुपये 10,000/– प्रतिदिन। (ब) यदि आगामी 30 दिनों की सूचना प्रस्तुत नहीं प्रस्तुत की जाती तो उस पर रुपये 2,00,000/– का अर्थदण्ड लगेगा एवं तत्पश्चात् रुपये 20,000/– प्रतिदिन के आधार पर अतिरिक्त अर्थदण्ड 30 दिनो की अवधि के बाद लगाया जायेगा। ऐसे मामलों में आयोग कोई भी कार्यवाही कर सकेगा, जिसे वह उचित समझे।
	भाग – ब वितरण एवं आपूर्ति से सम्बंधित सूचना	
1	प्राप्त हुई शिकायतों की वर्गवार संख्या दर्शाते हुए शिकायतें जिन्हें अनुबंधित समय के अन्दर समाधानित नहीं किया जा सका तथा उसके कारणों की त्रैमासिक एमआईएस सूचना प्रस्तुत न किये जाने पर (संदर्भ आपूर्ति संहिता परिच्छेद 7.7.6 उपपरिच्छेद 4 (ई))	(अ) यदि त्रैमासिक सूचना प्रस्तुत न करने के प्रथम उल्लंघन पर रुपये 25,000/– के अर्थदण्ड के साथ द्वितीय त्रैमास कटआफ तक निरन्तर असफलता के दौरान रुपये 2,500/– प्रतिदिन के आधार पर लगेगा। (ब) यदि सूचना द्वितीय त्रिमास कटआफ तक भी प्रस्तुत नहीं की जाती है, तब यह अर्थदण्ड रुपया 50,000/– अतिरिक्त द्वितीय त्रैमास कटआफ के पश्चात तथा तृतीय त्रैमास कटआफ तक निरन्तर असफलता के दौरान रुपये 5,000/– प्रतिदिन के आधार पर लगगेा। (स) यदि सूचना तृतीय त्रैमास कटआफ तक भी प्रस्तुत नही की जाती है, तब यह अर्थदण्ड रुपया 75,000/– तथा तृतीय त्रैमास कटआफ के पश्चात् चतुर्थ त्रैमास कटआफ तक निरन्तर असफलता के दौरान रुपये 7,500/– प्रतिदिन के दर से आंगणित किया जायेगा।

1	2	3
		(द) यदि सूचना चतुर्थ त्रैमास कटआफ तक भी प्रस्तुत नही की जाती है, तो अर्थदण्ड रुपया 1,00,000/– तथा चतुर्थ त्रैमास कटआफ के पश्चात् पंचम त्रैमास कटआफ तक निरन्तर असफलता के दौरान अतिरिक्त अर्थदण्ड रुपये 10,000/– प्रतिदिन की दर से आंगणित किया जायेगा। (य) इसके आगे यह अर्थदण्ड की धनराशि के आधार पर रुपया 10,000/– प्रतिदिन चूक के सुधार तक जोड़कर आंगणित की जायेगी।
2	ऊर्जीकरण के पश्चात् 6 माह तक बिलों के निर्गत न किये जाने पर ऐसे प्रकरणों की एवं तथा साथ ही त्रैमास के दौरान ऐसे प्रकरणों पर दी गयी क्षतिपूर्ति का क्षेत्रवार विवरण देते हुए आयोग को त्रैमासिक विवरण प्रस्तुत न किया जाना (संदर्भ–आपूर्ति संहिता परिच्छेद 7.7.2)	(अ) यदि त्रैमासिक सूचना प्रस्तुत न करने के प्रथम उल्लंधन पर रुपये 25,000/– के अर्थदण्ड के साथ द्वितीय त्रैमास कटआफ तक निरन्तर असफलता के दौरान रुपये 2,500/– प्रतिदिन के आधार पर लगेगा। (ब) यदि सूचना द्वितीय त्रिमास कटआफ तक भी प्रस्तुत नहीं की जाती है, तब यह अर्थदण्ड रुपया 50,000/– अतिरिक्त द्वितीय त्रैमास कटआफ के पश्चात् तथा तृतीय त्रैमास कटआफ तक निरन्तर असफलता के दौरान रुपये 5,000/– प्रतिदिन के आधार पर लगेगा। (स) यदि सूचना तृतीय त्रैमास कटआफ तक भी प्रस्तुत नहीं की जाती है, तब यह अर्थदण्ड रुपया 75,000/– तथा तृतीय त्रैमास कटआफ के पश्चात चतुर्थ त्रैमास कटआफ तक निरन्तर असफलता के दौरान रुपये 7,500/– प्रतिदिन के दर से आंगणित किया जायेगा। (द) यदि सूचना चतुर्थ त्रैमास कटआफ तक भी प्रस्तुत नहीं की जाती है, तो अर्थदण्ड रुपया 1,00,000/– तथा चतुर्थ त्रैमास कटआफ के पश्चात् पंचम त्रैमास कटआफ तक निरन्तर असफलता के दौरान अतिरिक्त अर्थदण्ड रुपये 10,000/– प्रतिदिन की दर से आंगणित किया जायेगा। (य) इसके आगे यह अर्थदण्ड की धनराशि के आधार पर रुपया 10,000/– प्रतिदिन चूक के सुधार तक जोड़कर आंगणित की जायेगी।
3	निम्नलिखित इन्डिसेस का आयोग के तथा अपनी वेबसाइट (दोनों) पर त्रैमासिक रिर्पोट प्रस्तुत किया जाना।	
(अ)	विश्वसनीयता इनडेक्स (संदर्भ सप्लाई कोड के परिच्छेद 7.14 का संदर्भ लें)	परिच्छेद 7.14 के अन्तर्गत विश्वसनीयता सूचकांक के सम्बन्ध में सूचना समय पर प्रस्तुत करने में असफलता अर्थदण्ड रुपया 25,000/– तथा निरन्तर असफलता की दशा में रुपया 2,500/– प्रतिदिन अर्थदण्ड आकर्षित करेगी।

1	2	3
(ब)	बिलिंग त्रुटियाँ (संदर्भ सप्लाई कोड के परिच्छेद 7.17)	परिच्छेद 7.17 के अन्तर्गत बिलिंग त्रुटियों के सम्बन्ध में सूचना समय पर प्रस्तुत करने में असफलता अर्थदण्ड रुपया 25,000/– तथा निरन्तर असफलता की दशा में रुपया 2500/– प्रतिदिन अर्थदण्ड आकर्षित करेगी।
(स)	अशुद्ध मीटर (संदर्भ सप्लाई कोड के परिच्छेद 7.18)	परिच्छेद 7.18 के अन्तर्गत त्रुटिपूर्ण मीटरों के सम्बन्ध में सूचना समय पर प्रस्तुत करने में असफलता अर्थदण्ड रुपया 25,000/– तथा निरन्तर असफलता की दशा में रुपया 2,500/– प्रतिदिन अर्थदण्ड आकर्षित करेगी।
	भाग-स दर सूची से सम्बन्धित सूचना	
1	विनिर्दिष्ट तिथि के आगे एमवाईटी याचिका/एपीआर याचिका/ट्रूअप याचिका प्रस्तुत करने में विलम्ब।	विनिर्दिष्ट तिथि के आगे प्रथम 30 दिनों में रुपया 5,000/– प्रतिदिन की दर से अर्थदण्ड लगाया जायेगा। 30 दिनों के पश्चात् याचिका प्रस्तुत किये जाने तक रुपया 10,000/– प्रतिदिन की दर से अर्थदण्ड के अतिरिक्त रुपया 1,00,000/– अर्थदण्ड अधिरोपित किया जायेगा।
2	बिजनेस प्लान के विनिर्दिष्ट तिथि से विलम्ब से पस्तुत किये जाने पर।	विनिर्दिष्ट तिथि के 30 दिनों के अन्दर यदि बिजनेस प्लान प्रस्तुत नही किया जाता है, अर्थदण्ड रुपया 1,00,000/– आरोपित किया जायेगा। अग्रेतर यदि विनिर्दिष्ट तिथि के 60 दिनो के अन्दर प्रस्तुत नहीं किया जाता है, अर्थदण्ड रुपया 2,50,000/–, किसी अन्य दण्डात्मक कार्यवाही के साथ, जिसे आयोग उचित समझे, अधिरोपित किया जायेगा।
	भाग-द सामान्य निर्देश	
	नियामक आयोग द्वारा दर सूची आदेश/आपूर्ति कोड/किसी अन्य आदेश के अन्तर्गत निर्गत तारांकित निर्देश (आगे से आयोग अपने सामान्य निर्देशों में कार्यान्वयन की तिथि सम्मिलित करते हुए दो शीर्षो अर्थात तारांकित निर्देश तथा अतारांकित निर्देश के अन्तगर्त निर्गत करेगा। अपने निर्देशों का तारांकित एव अतारांकित श्रेणी के अन्तर्गत वर्गीकरण के सम्बन्ध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा। आयोग अपने अनुपालिक वर्तमान निर्देशों पर पुनर्विचार भी कर सकता है तथा इन्हें भी तारांकित एवं अतारांकित श्रेणी के अन्तर्गत वर्गीकृत कर सकता है)	यदि अनुज्ञप्तिधारी तारांकित निर्देशों के अनुपालन में विनिर्दिष्ट तिथि तक असफल रहता है तो उस पर रु0 50,000 का अर्थदण्ड अधिरोपित किया जायेगा। अग्रेतर, निर्देश के पालन करने में निरन्तर असफलता की अवधि के दौरान रुपया 5,000/– प्रतिदिन का दण्ड भी अधिरोपित होगा।

यह विनियमावली प्रकाशन की तिथि से प्रभावी मानी जायेगी।

आयोग के आदेश द्वारा,
संजय श्रीवास्तव,
सचिव,
उ0 प्र0 विद्युत नियामक आयोग, लखनऊ।

FIRST ADDENDUM/AMENDMENT TO UTTAR PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION (FEES AND FINES) REGULATIONS, 2010

Notification No. UPERC/Secy./Regulation/1523

December 11, 2018

In exercise of powers conferred on it by Section 86(1)(g) of the Electricity Act, 2003 and Section 52 of the Uttar Pradesh Electricity Reforms Act, 1999 (U.P. Act no. 24 of 1999) in so far as these are not inconsistent with the provisions of Electricity Act, 2003, and all powers enabling it in that behalf, the Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission hereby makes the following amendments to the UPERC (FEES AND FINES) REGULATIONS, 2010 :

AMENDMENTS

The existing provision at S. No. 1.1 shall be replaced by following-

These regulations may be called the Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission (Fees and Fines) Regulations, 2010 (First amendment).

The existing provision at S. No. 2.2(vi) shall be replaced by following-

Reference herein to the "Schedules" shall be construed as a reference to the 'Schedule of Fee'& 'Schedule of Pre-specified Fines/Penalties' annexed to these regulations as amended or modified by the Commission from time to time in accordance with the applicable laws in force.

The existing provision at S. No. 4.3 shall be replaced by following--

Annual license fee as specified under these regulations for each year shall be paid by 15th July of that year. The date of submission of annual license fee as mentioned in this regulation shall supersede the date as may be mentioned in any other regulation of the Commission.

New provision to be added as S. No. 5.8: -

The Commission shall have undivided powers to reduce or relax the pre-specified fines/penalties through speaking order after providing an opportunity of hearing to the person, subsequent to issuing him notice to the effect of imposition of specified fine/penalty.

The existing provision at S. No. 6.2 shall be replaced by following-

The fines/penalties shall be payable in the same manner as provided under sub-clause (ii) of clause 3 of these Regulations. These fines/penalties will have to be mandatorily reflected in Annual Accounts of the Generator or the Licensee as the case may be, but will not form part of admissible expenditure under ARR.

The existing provision at S. No. 7.1 shall be replaced by following-

The Commission shall be entitled from time to time to add, amend, alter or vary the amounts of Fees payable or the amounts of Fines / Penalties payable as provided in Schedules to these regulations by an order to be made by the Commission subject to the condition specified under section 181(3) of the Electricity Act, 2003, as it deems fit.

The existing 'Schedule of Fees' shall be amended as following--

Amendment to 'Schedule of Fees'

PT. No.	Nature of Application/ Petition	Existing Fee	Amended Fee
1	2	3	4
		Part – A General	
6	Miscellaneous applications *i.e.* application not covered elsewhere.	(a) Rs.10,000.00 application if filed by licensee.	(a) Rs.25,000.00 application if filed by licensee or generating company.
		(b) Rs.1000.00 application if filed by any body other than licensee or individual.	(b) Rs.1000.00 application if filed by any body other than licensee or generating company .
		(c) Rs.500.00 application if filed by individual.	

1	2	3	4
7	Application for review or reconsideration of any order of the Commission not covered elsewhere.	Rs. 1,000 (Rs. One Thousand Only).	50% of the original fee however, Commission may exempt if review is concerned with small consumers.
		PART C-GRANT OF LICENSE	
2	Annual License Fee payable by the Distribution Licensee.	0.05% of amount billed/to be billed by the licensee initially at the time of grant of license and annual payment at the same rate in each subsequent financial year during the validity of the license. or Fee as may be prescribed by the State Government.	0.04% of amount to be billed by the licensee initially at the time of grant of license and annual payment at the same rate in each subsequent financial year during the validity of the license. or Fee as may be prescribed by the State Government.
3	Annual Licensee fee to be paid by the Transmission Licensee.	Rs. 500.00 for every million units of electricity or part thereof handled/ to be handled by the licensee initially at the time of grant of license and annual payments at the same rate in each subsequent financial year during the validity of the license. or Fee as may be prescribed by the State Government under the provisions of Electricity Act, 2003.	The transmission licensee on being issued with intrastate transmission license shall pay the license fee at the rate of Rs. 5.00 lakh per annum from date of grant of license upto the date of commercial operation of the transmission system or an element thereof. Subsequent to commercial operation, the licensee shall pay Rs. 500.00 for every million units of electricity or part thereof handled by the licensee in each subsequent financial year during the validity of the license. In case of partial operation of the system in the first year, the license fee shall be charged at the same rate on *pro-rata* basis. or Fee as may be prescribed by the State Government under the provisions of Electricity Act, 2003.
		PART D-SETTING TARIFF	
8	Determination of tariff under MYT for retail sale & wheeling of electricity.	Rs. 10 Lakhs + Rs. 500 per MVA of peak demand up to a maximum of Rs. 60 Lakhs.	Rs. 10 Lakhs + Rs. 500.00 per MVA of peak demand up to a maximum of Rs. 50 Lakhs.
11	Annual Performance Review of Transmission Licensee or generating company under MYT.	Rs. 15 Lakhs.	Rs. 10 Lakhs.

Addendum to 'Schedule of Fees'

Following additions are being made in the 'Schedule of Fees' of Regulations, 2010 :

Sl. No. of Regulations, 2010	Nature of Application/Petition	Fee (in Rupees)
1	2	3
	PART – A General	
7	Surcharge for delay in submission of the Petition.	Rs. 5000.00 day from due date (if prescribed by the Commission) up to the actual date of submission. However, this provision shall not be applicable in case of delay in submission of MYT / APR /True up petitions for which a separate express provision has been suggested under fine portion.
	PART – B Resolution of disputes and complaints	
5	(a) For adjudication on adequacy of Transmission capacity U/s 9 of the Act. (b) Review of order issued under 5 (a)	(a) Rs.50,000/- (b) Rs. 25,000/-
6	(a) Dispute related to integrated grid operation U/s 33(4). (b) Review of order issued under 6 (a)	(a) Rs. 50,000/- (b) Rs. 25,000/-
7	Disputes arising under sub-section 4 and 5 of Section 67 of the Act, (opening of Streets, Railways etc).	Rs. 25,000/-
	PART- C Grant of License	
8	Annual license fee for (a) Special Economic Zone. (b) Rural Electric Co-operative Society.	(a) Rs. 1,00,000.00 annum. (b) Rs. 50,000.00 annum, however, Commission may relax this fee if it feels appropriate.
9	Application for revocation of license under sub-section (2) of Section 19 of the Electricity Act.	By licensee Rs. 1,00,000.00. By others Rs. 10,000.00.
	PART- D Setting Tariff	
12	Application for adoption of tariff for short/long/medium term power purchases to be made through competitive bidding.	*Long Term/ Medium Term*: Conventional Fuel based (Coal, Oil etc.) including Hydel Plant above 25 MW – Rs. 25,000/- per MW or part thereof [Minimum of Rs. 2,00,000/- and Maximum of Rs. 10,00,000/-]. Non-Conventional and renewable energy sources including Hydel Plant up to 25 MW – Rs. 10,000.00 per MW or part thereof [Minimum of Rs. 50,000.00 and Maximum of Rs. 5,00,000/]. Short Term: Rs. 10,000.00 per bidding process.
13	Application for Truing up of Tariff order, if filed as a separate petition.	Rs. 1,00,000.00.
14	(a) Petition with respect to FPPCA (b) Review of order issued under 14(a)	(a) Rs. 50,000.00. (b) Rs. 25,000.00.
15	Petition for Tariff adoption towards tariff discovered through competitive guidelines – both for generation & transmission.	Rs. 25,00,000.00.

1	2	3
	PART E- Transmission Issues	
1	Petition for determination of rates, charges, terms and conditions under proviso to sub-section (1) of Section 36 of the Electricity Act, 2003 (Petition for use of intervening transmission facility of another licensee).	Rs. 1,00,000.00.
2	Transmission Service Agreement.	Rs. 500.00 per MW with a Minimum of Rs.15,000/- and Maximum of Rs. 2,00,000/ both for competitive bid projects and MoU based projects.
3	Application for determination of Fees and Charges of the State Load Dispatch Centre:	Rs. 5,00,000.00.

Schedule of 'Pre- specified Fines/Penalties' has been added as a separate Schedule in Regulations, 2010 :

'Schedule of Pre- specified Fines / Penalties'

Sl. no. of Regulations, 2010	Nature of Application / Petition	Fines / Penalty (in Rupees)
	PART-A Information related to Generation	
1	Non–submission of Performance Report by Generating Companies in term of Section 10(3) of Act & Section 2(7) of UPERC Generation Tariff Regulations, 14 in the month of September & March respectively.	(a) Fine of Rs. 50,000.00 on first contravention and a fine of Rs.5,000.00 per day during continuance of contravention. (b) If not cured by second due date, then it will attract a fine of Rs. 1,00,000.00,followed by a fine of Rs.10,000.00 per day during continuance of contravention. (c) If not cured by third due date, then it will attract a fine of Rs. 2,00,000.00 followed by a fine of Rs.20,000.00 per day during continuance of contravention. (d) On subsequent defaults, a fine of Rs. 5,00,000.00 will be repeatedly imposed followed by a fine of Rs. 20,000.00 per day during continuance of contravention. This is without prejudice to Commission taking any other measure as it may deem fit.
2	Non-submission of data related to cost, expenditure & operation as per regulation 51(X) of UPERC Generation Tariff Regulations, 14 in the month of September & March respectively.	(a) Fine of Rs. 50,000.00 on first contravention and a fine of Rs. 5,000.00 per day during continuance of contravention. (b) If not cured by second due date, then it will attract a fine of Rs. 1,00,000.00 followed by a fine of Rs.10,000.00 per day during continuance of contravention during the period subsequent to second due date. (c) If not cured by third due date, then it will attract a fine of Rs. 2,00,000.00 followed by a fine of Rs.20,000.00 per day during continuance of contravention during the period subsequent to third due date. (d) On subsequent defaults, a fine of Rs. 5,00,000.00 will be repeatedly imposed followed by a fine of Rs. 20,000.00 per day during continuance of contravention during the period subsequent to fourth due date. This is without prejudice to Commission taking any other measure as it may deem fit.

1	2	3
3	Non-submission of Information in accordance with Section 11(2) of CRE Regulations, 2014 within 90 days from date of notification of regulation	(a) A fine of Rs. 1,00,000.00 on contravention followed by an additional fine of Rs. 10,000.00 per day for next 30 days. (b) If not submitted in next 30 days also, then it will attract a fine of Rs. 2,00,000.00 will be imposed along with an additional fine of Rs. 20,000.00 per day for a period after 30 days. In such matters, the Commission may take any other action that it may deem fit.
	PART – B Information Related to Distribution & Supply	
1	On non-submission of quarterly MIS reports giving categorywise number of complaints received and the complaints, which could not be resolved within the stipulated time and reasons thereof. (Reference clause- 7.7.6 sub-clause 4(e) of supply code).	(a) If the quarterly information is not submitted then it will attract a fine of Rs. 25,000.00 on first default with a continuing fine of Rs. 2500.00 day during continuance of failure up to the second quarter cut-off. (b) If the information is not submitted by second quarter cut-off also, it will attract a fine of Rs. 50,000.00 with a fine of Rs. 5,000.00.00 day after the second quarter cut-off and during continuance of failure up to 3rd quarter cut-off. (c) If the information is not submitted by third quarter cut off also, it will attract a fine of Rs. 75,000.00 with a fine of Rs. 7500.00 day after the third quarter cut-off and during continuance of failure up to 4th quarter cut-off. (d) If the information is not submitted by 4th quarter cut-off also, it will attract a fine of Rs. 1,00,000.00 with an additional fine of Rs..10,000.00 per day after the fourth quarter cut-off and during continuance of failure up to 5th quarter cut-off. (e) Beyond this, it will continue to attract a fine of Rs. 10,000.00 per day till the cure of default.
2	On non-submission of quarterly statement to the Commission giving zone-wise details of such bills (bills raised 6 months after energization) along with compensation given on this account during the quarter. (Reference clause- 7.7.2 (d) of supply code).	(a) If the quarterly information is not submitted then it will attract a fine of Rs. 25,000.00 on first default with a continuing fine of Rs. 2500.00 day during continuance of failure up to the second quarter cut-off. (b) If the information is not submitted by second quarter cut-off also, it will attract a fine of Rs. 50,000.00 with a fine of Rs. 5,000.00 day after the second quarter cut-off and during continuance of failure up to 3rd quarter cut-off.

1	2	3
		(c) If the information is not submitted by third quarter cutoff also, it will attract a fine of Rs. 75,000.00 with a fine of Rs. 7,500.00 day after the third quarter cut-off and during continuance of failure up to 4th quarter cutoff.
		(d) If the information is not submitted by 4th quarter cut-off also, it will attract a fine of Rs. 1,00,000.00 with an additional fine of Rs. 10,000.00 per day after the fourth quarter cut-off and during continuance of failure up to 5th quarter cut-off.
		(e) Beyond this, it will continue to attract a fine of Rs. 10,000.00 per day till the cure of default.
3	Non-submission of quarterly reports on following indices both to the Commission as well as on its website :	
	(a) Reliability Indices (Ref. Clause 7.14 of Supply Code).	Failure to submit information regarding the reliability index, under clause 7.14, on time shall attract a fine of Rs. 25,000.00 and Rs. 2,500.00.00 day in case of continuing failure.
	(b) Billing Mistakes (Ref. Clause 7.17 of Supply Code)	Failure to submit information regarding the billing mistakes, under clause 7.17, on time shall attract a fine of Rs. 25,000.00 and Rs. 2,500.00.00 day in case of continuing failure.
	(c) Faulty meters (Ref. Clause 7.18 of Supply Code).	Failure to submit information regarding the faulty meters, under clause 7.18, on time shall attract a fine of Rs. 25,000.00 and Rs. 2,500.00 day in case of continuing failure.
	PART – C Information Related to Tariff	
1	Delay in submission of MYT petition /APR petition/True Up petition beyond the specified date.	A fine shall be levied at the rate of Rs. 5000.00 day in the first 30 days beyond the specified date. After 30 days, a fine of Rs. 1 lakh shall be imposed in addition to a fine at the rate of Rs. 10,000.00 day till the submission of petition.
2	Delay in submission of Business Plan beyond the specified date.	A fine shall be imposed of Rs. 1,00,000.00 if Business plan is not submitted within 30 days of the specified date. Further, if it is not submitted within 60 days of the specified date, a fine of Rs. 2,50,000.00 will be imposed along with any other punitive measure that the Commission deems fit.

1	2	3
	PART – D General Directions	
	Starred Directions* issued by Regulatory Commission under Tariff Order / Supply Code / Direction through any other order. *(Henceforth the Commission shall issue all its general directions, containing the date of implementation, under two heads viz starred directions and un-starred directions. The decision of the Commission regarding classification of its directions under starred & unstarred category shall be final. The Commission may also revisit its existing un-complied directions and classify it under starred and un-starred category.)	A penalty of Rs. 50,000.00 shall be imposed on the licensee, if he fails to abide by the starred direction by the specified date in the direction. Further, a penalty of Rs. 5000.00 per day shall be imposed during the period of continuance of failure in abiding the direction.

These regulations shall come into effect from the date of notification.

By the order of the Commission,
SANJAY SRIVASTAVA,
Secretary,
U.P. Electricity Regulatory Commission,
Lucknow.

पी0एस0यू0पी0–17 असाधारण गजट–16-02-2019–1150 प्रतियां–(डी0टी0पी0 / आफसेट)।